प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 9–10 जुलाई, 2018 को राज्य के सभी नगर निकायों के नगर आयुक्तों/कार्यपालक पदाधिकारियों/प्रतिनिधियों के साथ आयोजित विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति– पंजी के अनुसार।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 9–10 जुलाई, 2018 को राज्य के सभी नगर निकायों के नगर आयुक्तों/कार्यपालक पदाधिकारियों के साथ विभागीय योजनाओं यथा केन्द्र प्रायोजित योजना, राज्य योजना, राजस्व संग्रहण आदि की समीक्षा बैठक विभागीय सभाकक्ष में की गयी। बैठक के क्रम में निम्नवत निर्देश दिये गये :–

राज्य योजना :–

पथ एवं नाला निर्माण :

राज्य योजना अंतर्गत पथ निर्माण, पथ–सह–नाला निर्माण तथा नाला निर्माण से संबंधित ₹20 लाख से अधिक की योजनाओं की समीक्षा की गई। निम्नवत निदेश दिये गये :–

(i) जिन योजनाओं की निविदा प्रकाशन में है, उनके निविदा का निस्तारण कर शीघ्र कार्यादेश निर्गत कर कार्यारम्भ कराएँ।
(ii) जिन योजनाओं में निविदा निस्तार हो चुका है वहाँ कार्यादेश निर्गत करें।
(iii) जिन योजनाओं में कार्य पूर्ण होने के उपरांत अवशेष राशि बची है, उसे चालान के द्वारा कोषागार के संबंधित शीर्ष में जमा कराएँ।
(iv) निविदा निस्तार हेतु नगर निकायों से जो योजनाएँ विभाग को प्रेषित हैं, उसके अविलम्ब निष्पादन हेतु मुख्य अभियंता को निदेश दिया गया।
(v) पूर्व के जिन स्वीकृत योजनाओं में देनदारी की राशि के लिए विभाग से अधियाचना की जा रही है, उसके साथ पूर्व में प्राप्त राशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र की प्रति तथा कराए गए कार्यों का Photographs संलग्न करना आवश्यक है।

प्रशासनिक भवन :–

राज्य के सभी नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों में प्रशासनिक भवन/नगर सरकार भवन की योजना स्वीकृत है। इसके लिए मॉडल प्राक्कलन विभाग द्वारा बनाया गया है। कुछ नगर निकायों द्वारा बताया गया कि जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण प्राप्त राशि कोषागार में जमा करा दी गई है। अब भूमि प्राप्त हो गई है, इसलिए पुनः राशि की माँग की गई है। निदेश दिया गया कि जमा कराए गए कोषागार चालान की प्रति के साथ भूमि उपलब्धता से संबंधित कागजात संलग्न करते हुए पुनः अधियाचना की जाय।

सम्राट अशोक भवन :–

सम्राट अशोक भवन के लिए विभाग द्वारा मॉडल प्राक्कलन तैयार किया गया है। अब तक कुल 78 नगर निकायों में योजना स्वीकृत है। 28 नगर निकायों में इसी वर्ष योजना स्वीकृत की गई है तथा 50 नगर निकायों में पूर्व से स्वीकृत है। इस वर्ष स्वीकृत योजनाओं के संबंध में संबंधित नगर निकायों द्वारा बताया गया कि योजना निविदा प्रक्रिया में है। शीघ्र निविदा निस्तार कर कार्य आरम्भ करने का निदेश दिया गया।

बस स्टैंड निर्माण :–

सभी नगर निकायों को निदेश दिया गया कि जहाँ योजना अब तक स्वीकृत नहीं है और भूमि उपलब्ध है तो भूमि के ब्यौरा के साथ प्रस्ताव भेजें। जहाँ भूमि उपलब्ध नहीं है, वहाँ जिला पदाधिकारी से समन्वय कर भूमि प्राप्ति का प्रयास करें। चूँकि बस स्टैंड से नगर निकायों को अच्छी आय होगी, इसलिए भूमि क्रय अथवा दान में प्राप्त करने का भी प्रयास किया जाय। भूमि प्राप्त होने पर प्रस्ताव भेजें। विभाग से स्वीकृति देकर बस स्टैंड निर्माण हेतु राशि दी जाएगी।

शवदाह गृह निर्माण :–

सभी नगर निकायों को शवदाह गृह निर्माण हेतु भूमि विवरणी के साथ प्रस्ताव भेजने का निदेश पूर्व में दिया गया है। इस संबंध में निदेश दिया गया है कि परम्परागत रूप से जिस स्थल पर शवदाह किये जाते हैं, उसके भूमि की विवरणी भी स्वामित्व प्रमाण–पत्र के साथ भेजी जा सकती है। विभाग द्वारा शवदाह गृह निर्माण हेतु मॉडल प्राक्कलन तैयार किया गया है। नगर निगमों के लिए 02 Electric Furnace एवं 06 परम्परागत Shed, नगर परिषदों के लिए 01 Electric Furnace एवं 04 परम्परागत Shed तथा नगर पंचायतों के लिए 02 परम्परागत Shed का प्रावधान है। यह भी निदेश दिया गया कि भूमि विवरणी के साथ नगर निकाय को यह प्रमाण–पत्र देना होगा कि विद्युत शवदाह गृह के निर्माण के पश्चात् इसके रखरखाव तथा विद्युत विपत्र की राशि नगर निकाय वहन करेगा।

प्रकाश व्यवस्था :–

- राज्य के नगर निकायों में Street Lights लगाने के कार्य हेतु EESL के साथ राज्य सरकार का MOU हस्ताक्षरित है। इसके आलोक में सभी नगर निगमों तथा सभी नगर परिषदों के साथ Service Level Agreement हस्ताक्षरित हो चुका है।

- EESL के प्रतिनिधि से नगर निगमों एवं नगर परिषदों में अब तक कराए गए कार्यों की जानकारी प्राप्त की गई। बताया गया कि पूरे राज्य में अब तक 32,000 Lights लगाए जा चुके हैं। अगले 15 दिन में 1,22,000 Lights की आपूर्ति हो जाएगी। विभिन्न नगर निकायों द्वारा इस संबंध में बताया गया कि जो Lights लगाए जा रहे हैं, उनमें से कुछ अभी से खराब हो रहे हैं, जिसकी सूचना देने के बाद भी EESL द्वारा ठीक नहीं किया जा रहा है। EESL द्वारा यह जानकारी भी नहीं दी जा रही है कि किस जगह पर कितने वाट का लाईट लगाया जा रहा है।

इस संबंध में EESL के प्रतिनिधि एवं नगर निकायों को निम्नवत निदेश दिया गया :–

(i) EESL के साथ हुए एकरारनामा के अनुसार एक लाईट 72 घंटे तक खराब रहने पर 75 रुपये प्रति लाईट प्रति दिन की दर से EESL के विपत्र से कटौती की जाएगी। इसलिए नगर निकायों के लिए आवश्यक है कि वे एक पंजी में दर्ज करें कि कौन सी लाईट कब से नहीं जल रही है। तिथि की गणना कर EESL को मासिक प्रतिवेदन भेजे एवं कुल कटौती की राशि की गणना भी दर्शा दिया जाय।

(ii) EESL के द्वारा सर्वे के उपरांत विभिन्न स्थानों पर लगाए जाने वाले Lights का Working Plan तैयार किया जाय तथा नगर निकाय को उपलब्ध कराया जाय। नगर निकाय Installation के संबंध में प्राथमिकता निर्धारित कर EESL को दें एवं तद्नुसार Installation किया जाय।

(iii) EESL सभी नगर निकायों में Light Installation का Working Plan बनाकर विभाग एवं संबंधित नगर निकाय को उपलब्ध कराएँ।

(iv) आम नागरिकों एवं नगर निकायों में Complaints प्राप्ति के लिए EESL एक Toll free नम्बर उपलब्ध कराएं।

(v) EESL द्वारा Lights लगाने के लिए जो Tender किए गए हैं, उस Tender के Specification की प्रति ULB's को उपलब्ध कराए ताकि उन्हें जानकारी हो जाए कि किस तरह के Wire, Switch एवं पोल लगाए जाने हैं।

नाली–गली पक्कीकरण निश्चय योजना :–

आरा नगर निगम, डुमरॉव नगर परिषद, वारसलीगंज नगर पंचायत, महाराजगंज नगर पंचायत, कटैया नगर पंचायत, साहेबगंज नगर पंचायत, सुगौली नगर पंचायत, मधुबनी नगर परिषद, जयनगर नगर पंचायत, पूर्णियाँ नगर निगम एवं निर्मली नगर पंचायत में निर्मित नाली–गली से आच्छादित घरों की अद्यतन संख्या, नाली गली निश्चय योजना अन्तर्गत वर्ष 2019–20 तक कुल लक्षित घरों की संख्या से अधिक है, तो भी कुल लक्षित वार्डों की संख्या–3354 के विरूद्ध अब तक 3213 वार्डों में ही कार्य हो पाया है। इन नये वार्डों में निविदा का कार्य पूरा कर त्वरित कार्यारम्भ की कार्रवाई की जाय।

हर घर नल जल निश्चय योजना :–

कोचस नगर पंचायत– कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 10 वार्ड में निविदा तथा 7 वार्ड में कार्य प्रारम्भ है, शेष वार्ड हेतु निविदा की प्रक्रिया की जा रही है। शेष अन्य वार्ड में भी शीघ्र निविदा निकालने का निदेश दिया गया।

विक्रमगंज नगर परिषद– कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि नगर परिषद में परिवर्तित हो गया तथा वार्डों की संख्या 23 से 27 हो गई है। 15 वार्ड में बी0आर0जे0पी0 तथा 8 वार्ड में नगर निकाय द्वारा कार्य किया जाएगा। नगर निकाय द्वारा अभी तक मात्र 4 वार्ड का ही निविदा निकाला गया है। शीघ्र शेष वार्ड का निविदा निकालने का निदेश दिया गया।

नासरीगंज नगर पंचायत– कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 14 वार्ड में निविदा निकाली गई तथा 8 वार्ड में कार्य प्रारम्भ है। अद्यतन गृह जल संयोजन की संख्या–480 है। शेष अन्य 6 वार्ड में भी कार्य प्रारम्भ करने का निदेश दिया गया।

नोखा नगर पंचायत– कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 12 वार्ड में निविदा हुआ है तथा 04 वार्ड में कार्य प्रारम्भ है। गृह जल संयोजन का कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है। कार्य में तीव्रता लाने की आवश्यकता है एवं गृह जल संयोजन भी शीघ्र कराने का निदेश दिया गया।

मोतीपुर नगर पंचायत– कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 12 वार्ड में निविदा तथा 10 वार्ड में कार्य प्रारम्भ है। अद्यतन गृह जल संयोजन की संख्या–512 है। जिल वार्डों में कार्य प्रारम्भ है, वहाँ गृह जल संयोजन शीघ्रता से कराने का निदेश दिया गया।

साहेबगंज नगर पंचायत–कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 13 वार्ड में निविदा तथा 12 वार्ड में कार्य प्रारम्भ है तथा अद्यतन गृह जल संयोजन की संख्या–550 है। 2 वार्ड पूर्णतया आच्छादित हो गया है। निदेश दिया गया कि कार्य प्रारम्भ वार्डों में गृह जल संयोजन का कार्य तुरन्त कराया जाय।

रक्सौल नगर पंचायत – कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 10 वार्ड में कार्य प्रारम्भ है। 03 वार्ड निजी बोरिग से पूर्णतया आच्छादित है। नगर निकाय द्वारा शेष 4 वार्डों के लिए भी निविदा प्रक्रिया पूर्ण कराने का निदेश दिया गया।

पकड़ीदयाल नगर पंचायत– कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 10 वार्ड में निविदा तथा 10 वार्ड में कार्य प्रारम्भ है। अद्यतन गृह जल संयोजन की संख्या–256 है। शेष 5 वार्ड में शीघ्र निविदा कराने का निदेश दिया गया।

सुगौली नगर पंचायत – कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 16 वार्डों में निविदा की गई तथा 11 वार्ड में कार्य प्रारम्भ है। अभी तक 640 घरों को नल–जल से आच्छादित किया जा चुका है। शेष 06 वार्ड में 50 लाख से उपर की योजना ली गई है, जो निविदा के प्रक्रिया में है। गृह जल संयोजन तीव्र गति से कराने का निदेश दिया गया।

नरकटियागंज नगर परिषद– कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि मात्र 05 वार्ड में ही निविदा निकाली गई है परन्तु किसी वार्ड में कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। समीक्षा में यह स्पष्ट हुआ कि यह स्थिति पिछले तीन महीनों से है, जिसपर खेद व्यक्त किया गया एवं निदेश दिया गया कि शीघ्र प्राक्कलन तैयार कर निविदा की प्रक्रिया प्रारम्भ करें।

बीहट नगर परिषद– कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 16 वार्ड में निविदा निकाली गयी है। 09 वार्ड में कार्य प्रारम्भ है तथा अद्यतन गृह जल संयोजन की संख्या–917 है। 07 वार्ड में जमीन विवाद के कारण कार्य बाधित है। जमीन विवाद शीघ्र सुलझाने हेतु जिला पदाधिकारी से सम्पर्क करने का निदेश दिया गया।

बखरी नगर पंचायत– कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 02 वार्ड में कार्य प्रारम्भ है तथा गृह जल संयोजन 261 है। अभी तक 08 वार्डों की निविदा निकाली गयी है। शेष अन्य वार्डों में 15 दिनों के अन्दर निविदा निकालने का निदेश दिया गया।

तेघरा नगर पंचायत– कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि 10 वार्ड की निविदा की गई है तथा सभी में कार्य प्रारम्भ है। शेष सभी 15 वार्डों का प्राक्कलन का तकनीकी स्वीकृति हो गया है। निदेश दिया गया कि शीघ्र निविदा की प्रक्रिया प्रारम्भ करें।

शेरघाटी नगर पंचायत– कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सभी 20 वार्डों की निविदा प्रकाशन हेतु भेजा गया है। शेरघाटी की प्रगति काफी असंतोषजनक है। शीघ्र सकारात्मक प्रगति लाने का निदेश दिया गया।

रफीगज नगर पंचायत– कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि भूगर्भ जल की समस्या है। बी0आर0जे0पी0 द्वारा जांच की गई तथा जाँच रिर्पोट अभी प्राप्त नहीं हुआ है। बी0आर0जे0पी0 के अधीक्षण अभियंता को निदेश दिया गया कि वे शीघ्र जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध करायें ताकि यथोचित निर्णय लिया जा सके।

कसबा नगर पंचायत– कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 08 योजनाओं का प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति हेतु बी0आर0जे0पी0 को भेजा गया है। निदेश दिया गया कि वे सम्पर्क कर बी0आर0जे0पी0 से शीघ्र प्राक्कलन स्वीकृत करायें।

फारबिसगंज नगर परिषद– कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पी0एच0ई0डी0 का पुराना पाईप लाईन है। निदेश दिया गया कि वे पी0एच0ई0डी0 के साथ सम्पर्क कर हस्तानान्तरण की प्रक्रिया करें एवं तद्नुसार प्राक्कलन तैयार करायें।

- सभी कार्यपालक पदाधिकारियों को 15 दिनों के अंदर संबंधित सभी वार्डों में शेष निविदाओं की प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु निदेश दिया गया एवं जहाँ कार्य प्रारम्भ है, वहाँ गृह जल संयोजन का कार्य तीव्रता से कराने का निदेश दिया गया।
- CIPET के आमंत्रित प्रतिनिधियों द्वारा HDPE/MDPE तथा CPVC पाईप के गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विस्तृत रूप से सभी कार्यपालक पदाधिकारियों को जानकारी दी गयी कि वे किस प्रकार से HDPE/MDPE पाईप की गुणवत्ता को पहचानेंगे। उनके द्वारा बताया गया कि Procurement के उपरान्त 1.5–1.5 मीटर के 4 piece अथवा 1–1 मीटर के 6 पीस का sample collect कर CIPET lab हाजीपुर को उपलब्ध करायें तथा sample के साथ PDI Certificate भी उपलब्ध कराये जाने का सुझाव दिया गया।

SBM योजना -

ODF :

- प्रत्येक परिवार को एक शौचालय निश्चिय रूप से मुहैया कराना है। जो निकाय ODF घोषित हो चुका है, उनकी भी IHHL की नियमित समीक्षा होती रहेगी। सभी निकायों को निर्देश दिया गया कि इसका नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित करेंगे।

- अमरपुर, विक्रम एवं पीरो नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर अनिवार्य रूप से City profile देना सुनिश्चित करेंगे।
- मुरलीगंज नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि पूर्व के कार्यपालक पदाधिकारी से संपर्क कर एक सप्ताह के अंदर City profile देना सुनिश्चित करेंगे।
- चनपटिया, अरेराज, केसरिया, महनार, विक्रमगंज, बैरगनिया, सोनपुर, दाउदनगर नगर निकायों को दो दिनों के अन्दर City profile देना सुनिश्चित करेंगे।
- शेष सभी नगर निकाय, दिनांक 17.07.2018 को ODF के संबंध में आयोजित कार्यशाला में अपना City profile देना सुनिश्चित करेंगे।

IHHL :–

- बगहा एवं महुआ नगर पंचायत का IHHL की प्रगति अत्यंत ही असंतोषजनक है। निर्देश दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर शौचालय निर्माण में प्रगति लायें।
- लखीसराय नगर परिषद का SBM Portal पर IHHL का टोरगेट 8300 प्रदर्शित है, जो कि बहुत अधिक प्रतीत हो रहा है। दिया गया कि इसका सर्वे कराकर जल्द से जल्द टोरगेट सुनिश्चित किया जाय एवं एक सप्ताह के अन्दर editing का कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाय।
- नगर पंचायत एकमा बाजार, बेनीपुर, घोघरडीहा, रोसड़ा एवं सिमरी बख्तियारपु तथा नगर परिषद, फारबिसगंज एवं मधेपुरा का IHHL की प्रगति काफी असंतोषजनक है। निर्देश दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर निर्धारित लक्ष्य का कार्य पूर्ण किया जाय एवं शौचालय निर्माण में प्रगति लाया जाय।

Data Transfer :–

- नगर निगम मुंगेर, पूर्णियाँ एवं गया, नगर परिषद सहरसा, दानापुर, मधेपुरा, लखीसराय एवं गोपालगं तथा नगर पंचायत रोसड़ा, बिक्रमगंज, महनार, चकिया, मोहनियां एवं पिरो के नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि Central Portal से State Portal पर डाटा को verify कर Transfer का कार्य एक सप्ताह के अन्दर पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाय।

AMRUT योजना :-

पार्क निर्माण योजना :

- नगर प्रबंधक, नगर परिषद, हाजीपुर द्वारा बताया गया कि पार्क निर्माण/विकास हेतु जिलाधिकारी/महाप्रबंधक, रेलवे से समन्वय स्थापित कर तीन पार्क के स्थल का चयन किया जा रहा है। निर्देश दिया गया कि दिनांक 31.07.2018 तक स्थल चयन कर DPR अनिवार्य रूप से विभाग को समर्पित किया जाय।
- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बक्सर द्वारा बताया गया कि पार्क निर्माण अन्तर्गत Boundary wall का कार्य चल रहा है। निदेश दिया गया कि Non-schedule items के quotation हेतु प्रक्रिया पूरी की जाय।
- अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, बेगूसराय के द्वारा बताया गया कि धार्मिक न्यास परिषद, द्वारा पार्क निर्माण हेतु NOC नहीं दिया गया है। इन्हें निदेश दिया गया कि पार्क निर्माण के संबंध में 31.07.2018 तक निर्णय लेकर विभाग को सूचित किया जाय ताकि इस संबंध में अन्तिम रूप से कोई निर्णय लिया जा सके।

- कनीय अभियंता, नगर निगम, मुंगेर द्वारा बताया गया कि SAAP-I के अन्तर्गत पार्क निर्माण हेतु चौथी बार हुई निविदा में प्रथम बार एकल निविदाकार को तकनीकी निविदा में सफल घोषित किया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि इस योजना की पुनर्निविदा की गयी है। SAAP-II के अंतर्गत 3 पार्कों की निविदा की गयी है। उनके द्वारा बताया गया कि अमृत योजना अन्तर्गत पार्क की नई योजना विचाराधीन नहीं है।
- नगर आयुक्त, नगर निगम बिहारशरीफ के द्वारा बताया गया कि SAAP-I अन्तर्गत स्वीकृत पार्क का कार्य प्रगति में है। उनके द्वारा SAAP-II एवं SAAP-III के अन्तर्गत स्वीकृत पार्क हेतु site selection किए जाने की बात कही गई। M/s WAPCOS Ltd को पार्क का DPR तैयार करने का निदेश दिया गया।
- नगर प्रबंधक, नगर निगम, दरभंगा द्वारा बताया गया कि SAAP-I के अन्तर्गत स्वीकृत पार्क के Boundary wall का कार्य प्रगति में है। उनके द्वारा एक सप्ताह के अन्दर एक और पार्क का DPR समर्पित करने की बात कही गयी।
- नगर निगम, छपरा के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा SAAP-I के अन्तर्गत स्वीकृत पार्क के निर्माण की प्रगति के संबंध में जानकारी दी गयी। उनके द्वारा अन्य पार्क के निर्माण हेतु भूमि की अनुपलब्धता की बात कही गयी।
- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मोतिहारी द्वारा बताया गया कि SAAP-1 के अन्तर्गत स्वीकृत पार्क का Civil Work प्रगति में है। उन्हें SAAP-II के अन्तर्गत T/S estimate अविलम्ब समर्पित करने का निदेश दिया गया। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा SAAP-III के अन्तर्गत पार्क निर्माण हेतु DPR अविलम्ब समर्पित करने की बात कही गयी।
- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, सिवान द्वारा SAAP-1 के अन्तर्गत पार्क निर्माण की प्रगति के संबंध में जानकारी दी गई। इनके द्वारा आवंटन की माँग की गयी। SAAP-II के अन्तर्गत पार्क निर्माण नहीं होने की बात कही गई। SAAP-III के अन्तर्गत पार्क निर्माण हेतु एक सप्ताह में DPR समर्पित करने की बात कही गयी।
- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, औरंगाबाद को अविलम्ब अमृत अन्तर्गत पार्क निर्माण हेतु निविदा करने का निदेश दिया गया।
- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, किशनगंज द्वारा बताया गया कि SAAP-1 के अन्तर्गत स्वीकृत पार्क का civil work पूर्ण हो चुका है। पूर्व में SAAP-II एवं SAAP-III के अन्तर्गत स्वीकृत पार्क हेतु रेलवे से NOC लेने की बात कही गयी थी, किन्तु आज की बैठक में उनके द्वारा रेलवे द्वारा पार्क हेतु जमीन का NOC नही देने की बात की गयी। उनके द्वारा गौशाला की जमीन पर पार्क बनाने हेतु NOC प्राप्त करने की बात कही गई।
- कार्यपालक पदाधिकारी, सासाराम द्वारा बताया गया कि SAAP-I के अन्तर्गत स्वीकृत पार्क का civil work प्रगति में है। SAAP-II के अन्तर्गत पार्क निर्माण हेतु C/S मुख्यालय भेजने की बात कही गयी तथा SAAP-III के अन्तर्गत पार्क निर्माण हेतु भूमि की अनुपलब्धता की बात कही गयी।
- नगर आयुक्त, नगर निगम, कटिहार द्वारा बताया गया कि SAAP-I के अन्तर्गत स्वीकृत पार्क की निविदा तीन बार आमंत्रित की गई, किन्तु सफल नहीं हो सका। उनके द्वारा बताया गया कि पुनः निविदा की कार्रवाई की जा रही है। निर्देश दिया गया कि पुनर्निविदा की कार्रवाई शीघ्र की जाय और FSM योजना का DPR एक सप्ताह में समर्पित की जाय।
- नगर निगम, पूर्णिया के उपस्थित प्रतिनिधि को निदेश दिया गया कि अमृत योजना के SAAP-I एवं SAAP-II अन्तर्गत समेकित पार्क निर्माण की निविदा एक सप्ताह के अन्दर आमंत्रित की जाय। SAAP-III के अन्तर्गत पार्क निर्माण के DPR में आवश्यक संशोधन हेतु नगर निगम को निदेश दिया गया।

- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, दानापुर, डेहरी एवं जमालपुर द्वारा अमृत योजनान्तर्गत पार्क हेतु जमीन उपलब्ध नहीं होने की बात कही गयी।
- कार्यपालक पदा०, नगर परिषद, बेतिया द्वारा बताया गया कि SAAP-I के अन्तर्गत स्वीकृत पार्क का Civil work 90 % पूर्ण हो चुका है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि SAAP-II के अन्तर्गत स्वीकृत पार्क का NOC बेतिया राज द्वारा नहीं दिया गया है। उन्हें इस संबंध में 31.07.2018 तक निर्णय लेने का निदेश दिया गया। इनके द्वारा तीसरे पार्क हेतु स्थल नहीं उपलब्ध होने की जानकारी दी गयी।
- नगर आयुक्त, नगर निगम, भागलपुर द्वारा SAAP-I के अन्तर्गत बनने वाले लाजपत पार्क के संबंध में बताया गया कि पूर्व में आमंत्रित निविदा को रद्द किया जा चुका है एवं अग्रत्तर कार्रवाई की जा रही है। SAAP-II अन्तर्गत भैरवा पार्क का DPR विभाग में समर्पित करने की बात कही गई। SAAP-III अन्तर्गत पार्क हेतु DPR समर्पित करने की बात कही गयी।
- नगर निगम, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि AMRUT के अन्तर्गत पार्क योजना का DPR अविलम्ब समर्पित किया जाय।
- अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना को निदेष दिया गया कि SAAP-I एवं SAAP-II (समेकित) अन्तर्गत पार्क निर्माण कार्य का कार्य अविलम्ब आरंभ कराया जाय। अमृत पार्क योजना अन्तर्गत पटना नगर निगम क्षेत्र में बड़े पार्क हेतु स्थल चयन कर DPR समर्पित करने का निदेष दिया गया।
- नगर निगम, गया के उपस्थित प्रतिनिधि ने बताया कि SAAP-II अन्तर्गत पार्क का निर्माण शीघ्र शुरू कर दिया जाएगा। उन्हें निदेश दिया गया कि SAAP-III अन्तर्गत पार्क निर्माण का DPR दिनांक 30.07.2018 तक समर्पित किया जाय।
- कार्यपालक पदा०, नगर पंचायत, बोधगया को पुनः निदेश दिया गया कि SAAP-III अन्तर्गत AMRUT पार्क की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने हेतु अविलम्ब प्राक्कलन समर्पित किया जाय। SAAP-II के अन्तर्गत अमृत पार्क का DPR दिनांक 30.07.2018 तक समर्पित करने का निदेश दिया गया।
- सभी नगर निकायों को निदेश दिया गया कि सभी पार्क योजनाओं के Non-schedule items के कोटेशन हेतु प्रक्रिया अविलम्ब आरम्भ की जाय ताकि पार्क योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब न हो।
- सभी नगर निकायों को अमृत योजना अन्तर्गत सभी योजनाओं के अविलम्ब Geo-tagging करने का निदेश दिया गया।

AMRUT जलापूर्ति योजना :

- नगर परिषद्, जहानाबाद एवं सीवान को अमृत योजना अन्तर्गत जलापूर्ति योजनाओं का आवंटन BRJP को Transfer करने का निदेश दिया गया।
- कार्यपालक अभियंता, BRJP द्वारा बताया कि बक्सर जलापूर्ति योजना, फेज–1 में प्रावधानित 57.563 km के विरुद्ध 25.757 km पाईप बिछाया गया है तथा प्रावधानित गृह जल संयोजन 4739 के विरूद्ध 794 गृह जल संयोजन किया गया है। छपरा जलापूर्ति योजना फेज–1 में प्रावधानित 72.985 km के विरूद्ध अभी तक 44.888 km पाईप बिछाया गया है तथा प्रावधानित गृह जल संयोजन 16474 के विरूद्ध 828 गृह जल संयोजन किया गया है।
- कार्यपालक अभियंता, BRJP द्वारा बताया गया कि बगहा जलापूर्ति योजना फेज–1 में प्रावधानित 46.548 km के विरूद्ध अभी तक 25.967 km पाईप बिछाया गया है तथा प्रावधानित गृह जल संयोजन 8730 के विरूद्ध 1208 गृह जल संयोजन किया गया है। जहानाबाद जलापूर्ति योजना फेज–1 में प्रावधानित 37.002 km के विरूद्ध अभी तक 13.079 km पाईप बिछाया गया है तथा प्रावधानित गृह जल संयोजन 15318 के विरूद्ध 267 गृह जल संयोजन किया गया है।

- कार्यपालक अभियंता, BRJP द्वारा बताया गया कि मोतिहारी जलापूर्ति योजना फेज–1 में प्रावधानित 56.909 km के विरूद्ध अभी तक 7.87350 km पाईप बिछाया गया है तथा प्रावधानित गृह जल संयोजन 7428 के विरूद्ध 284 गृह जल संयोजन किया गया है। सिवान जलापूर्ति योजना फेज–1 में प्रावधानित 49.738 KM के विरूद्ध अभी तक 43.591 KM पाइप बिछाया गया है तथा प्रावधानित गृह जल संयोजन 10668 के विरूद्ध 2447 गृह जल संयोजन किया गया है।
- कार्यपालक अभियंता, BRJP द्वारा बताया गया कि औरंगाबाद जलापूर्ति योजना फेज–1 में प्रावधानित 49.555 km के विरूद्ध अभी तक 38.218 km पाईप बिछाया गया है तथा प्रावधानित गृह जल संयोजन 3770 के विरूद्ध शून्य गृह जल संयोजन किया गया है। सहरसा जलापूर्ति योजना फेज–1 में प्रावधानित 189.584 km के विरूद्ध अभी तक 9.393 km पाईप बिछाया गया है जबकि प्रावधानित गृह जल संयोजन 28369 के विरूद्ध 491 गृह जल संयोजन किया गया है।
- नगर निकायों द्वारा बताया गया कि पाईप लाईन बिछाने के क्रम में Restoration का कार्य नहीं कराया जा रहा है। निदेश दिया गया कि Restoration कार्य को अविलंब पूरा किया जाय ताकि भविष्य में किसी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। यह भी निदेश दिया गया कि BRJP एवं ULB के पदाधिकारियों के बीच नगर निकाय में नियमित साप्ताहिक बैठक सुनिश्चित किया जाय।

सबके लिए आवास (Housing For All)–

- सभी परामर्शी संस्था को निदेश दिया गया कि वैसे निकाय, जिनके Demand Survey का कार्य काफी लम्बे समय से चल रहा है, उनका Demand Survey दिनांक 31 जुलाई, 2018 तक हर हाल में पूर्ण कराकर HFAPoA एवं AIP विभाग को उपलब्ध करा दें। साथ ही वैसे निकाय, जहाँ Demand Survey का कार्य अब तक प्रारंभ नहीं कराया गया है, उनमें हर हाल में 31 अगस्त, 2018 तक सर्वे पूर्ण कराकर HFAPoA एवं AIP विभाग को उपलब्ध कराया जाय।
- वैसे निकाय, जहाँ काफी समय से HFAPoA एवं AIP बोर्ड से पारित हेतु लंबित है, उन निकायों में जल्द से जल्द बोर्ड की बैठक बुलाकर HFAPoA एवं AIP पारित करवाने का निर्देश दिया गया।
- परामर्शी संस्था द्वारा किये गये Demand Survey में BLC घटक के अंतर्गत प्राप्त आवेदन एवं निकाय द्वारा स्वीकृत कराये गये आवासों के बीच काफी अंतर पाया गया है तथा पिछले 03 माह से कोई भी प्रस्ताव विभाग द्वारा भारत सरकार को नही भेजा गया है। इस संबंध में पूर्व में भी पत्रांक–1078 दिनांक–27.04.2018 के माध्यम से प्रस्ताव की मांग की गयी थी, लेकिन अधिकांश निकायों द्वारा कोई प्रस्ताव नही भेजा गया। इस संबंध में नगर निकायों को निदेश दिया गया कि 15 जुलाई, 2018 तक लाभुकों को प्रस्ताव विभाग को भेजा जाय।
- **वैसे निकाय, जिनमें पूर्व से स्वीकृत आवासीय इकाईयों में कार्य प्रारंभ नहीं कराया गया, उन्हें निम्नलिखित निदेश दिए गये** :–
  - **(i)** अररिया फेज–III, अरेराज फेज–II, बखरी फेज–II तथा फेज–III, बीहट फेज–II, बीरपुर फेज–II, चकिया फेज–II तथा फेज–III, डुमराव फेज–II, गया फेज–III, हाजीपुर फेज–III, जोगबनी फेज–II, केसरिया फेज–II, खगरिया फेज–II, कोइलवर फेज–II, मनिहारी फेज–II, मोकामा फेज–II, मोतीपुर फेज–II, निर्मली फेज–II, शिवहर फेज–III एवं शेरघाटी फेज–II निकायों को आवासीय इकाईयों में निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू करने का निदेश दिया गया।
  - **(ii)** हवेली खड़गपुर फेज–II, जोगबनी फेज–II, रजगीर फेज–II, दलसिंहसराय फेज–III, गया फेज–IV, केसरिया फेज–II, लालगंज फेज–II, महाराजगंज फेज–III, मेहसी फेज–III, मोकामा फेज–III, नर्कतिगंज फेज–II, सुपौल फेज–IV, बनमनखी फेज–IV, बखरी फेज–IV, बिक्रम फेज–III, बेगुसराय फेज–II, भागलपुर फेज–II, दिघवारा फेज–II, झाझा फेज–III, कस्बा

फेज–II, महुआ फेज–II एवं सहेबगंज फेज– II नगर निकायों में लाभुकों का भारत सरकार के पोर्टल पर PMAYMIS पर शत–प्रतिशत MIS Entry एवं DPR (Annexure-7C) से संबद्ध नहीं किये जाने के कारण भारत सरकार द्वारा अब तक कोई भी राशि निर्गत नही की गयी है। इन सभी नगर निकायों को एक सप्ताह के अन्दर सभी कार्य पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

IHSDP–

संबंधित नगर निकायों को निदेश दिया गया कि चूँकि IHSDP योजना भारत सरकार द्वारा मार्च, 2017 में ही समाप्त कर दी गयी है, अतः जिन इकाईयों में निर्माण कार्य प्रारंभ है, उसे जल्द से जल्द पूर्ण कराया जाय।

RAY–

संबंधित नगर निकायों को निदेश दिया गया कि जिन इकाईयों में निर्माण कार्य प्रारंभ है, उसे जल्द से जल्द पूर्ण कराया जाय एवं वैसे आवासीय इकाई, जिन में कार्य प्रारंभ नहीं की गयी है, उनमें जल्द से जल्द कार्य प्रारंभ किया जाय।

NULM योजना :–

घटक–Support to Urban Street Vendors (SUSV)

- इस घटक के अधीन चार नगर निकायों यथा–भागलपुर, गोपालगंज, अरवल, बेतिया एवं नवादा द्वारा City Street Vending Plan (CSVP) का प्रारूप तैयार किये जाने की सूचना दी गयी। नगर आयुक्त, भागलपुर नगर निगम को CSVP का प्रारूप में शहरों में हो रहे वर्तमान फुटपाथ विक्रय की स्थिति को मैप पर दर्शान का सुझाव दिया गया। उक्त सभी नगर निकायों को TVC की बैठक अयोजित कर CSVP पर अनुमोदन कराकर, विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने को निदेश दिया गया।

- यह निदेशित किया गया कि शेष सभी नगर निकाय अपने–अपने शहरों में वर्तमान में हो रहे फुटपाथ विक्रय गतिविधियों का आँकलन करे एवं फुटपाथ विक्रय को सुव्यवस्थित करने हेतु प्रत्येक नगर निकाय City Street Vending Plan (CSVP) तैयार करे। शुरूआती फेज में बड़े नगर निकाय पूरे नगर का CSVP तैयार करने की जगह सर्वप्रथम विशेष क्षेत्र/जोन/वार्ड जहॉ वर्तमान में फुटपाथ विक्रय हो रहें हैं, वहॉ का वेंडिंग प्लान तैयार करे। प्लान में फुटपाथ विक्रय की वर्तमान स्थिति को एक मैप पर दर्शाया जाय तथा इसे सुव्यवस्थित करने हेतु प्रस्तावित प्लान को एक दूसरे मैप पर दर्शाया जाय। नगर क्षेत्र में वार्ड वार No Vending Area, Restricted Vending Area, Vending area इत्यादि का अलग–अलग रंग से दर्शाया जाय। प्रस्तावित फुटपाथ विक्रय क्षेत्र/जोन में विक्रय गतिविधियों के विनियमन हेतु फुटपाथ विक्रेता की संख्या एवं प्रस्तावित नये वेंडिंज जोन सिफ्ट किये जाने वाली फुटपाथ विक्रेता की संख्या को स्पष्ट रूप से CSVP में सम्मिलित किया जाय। CSVP तैयार करने में DAY-NULM योजना की SUSV घटक की मार्गदर्शिका का संन्दर्भ लिया जाय।

- सभी नगर निकायों को अपने क्षेत्र में आवश्यकतानुसार Vending Zone के निर्माण हेतु प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

घटक–Shelter for Urban Homeless (SUH)

- सर्वेक्षित आश्रयविहिनों के MIS Entry को यथाशीघ्र पूर्ण कराने हेतु रफीगंज, बांका, भागलपुर, कोईलवर, दरभंगा, अरेराज, कटिहार, मधेपुरा, मधुबनी, राजगीर, दानापुर, पटना, कसबा, पूर्णिया, सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा, छपरा, शेखपुरा, मैरवा एवं बीरपुर नगर निकायों को निदेश दिया गया।

- नवनिर्मित आश्रय स्थलों का प्रचालन एवं प्रबंधन प्रारंभ करने हेतु नगर निकायों यथा आरा, बक्सर, छपरा, दरभंगा, गया, किशनगंज, पूर्णिया, शेखपुरा, जहानाबाद, बेतिया, एवं लखीसराय को दिनांक–25.07.2018 तक का समय दिया गया।
- अररिया, भागलपुर, कटिहार, मुजफ्फरपुर, मधुबनी एवं बांका नगर निकायों को आश्रय स्थलों का निर्माण कार्य तथा अन्य सिविल कार्य पूर्ण कराकर प्रचालन व प्रबंधन प्रारंभ करने हेतु दिनांक–30.08.2018 तक का समय निर्धारित किया गया।
- जमुई नगर परिषद को आश्रय स्थल का निर्माण दिनांक–15.09.2018 तक पूर्ण कराकर प्रचालन एवं प्रबंधन प्रारंभ कराने को निदेश दिया गया।
- सहरसा नगर परिषद में बंद पड़े आश्रय स्थल निर्माण कार्य को पुनः प्रारंभ कराने हेतु निदेशित किया गया कि मंदिर समिति के अध्यक्ष–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, सहरसा से समन्वय कर निर्माण कार्य यथाशीघ्र प्रारंभ कराया जाय।
- नगर निकाय–औरंगाबाद, बेगुसराय, मोतिहारी, पटना एवं सिवान के द्वारा अब तक आश्रय स्थल के लिए भूमि चयन नहीं किया जाना अत्यंत खेदजनक है। इस संबंध में निदेशित किया गया कि जुलाई माह के अंत तक जमीन की खोज कर ली जाय।
- राज्य योजना मद से नगर निकाय–बोधगया, हेवली खड़गपुर एवं राजगीर को आश्रय स्थल निर्माण यथाशीघ्र प्रारंभ कराने का निदेश दिया गया।
- नगर निकायों में पूर्व से अवस्थित रैन बसेरों की स्थिति में सुधार कर पूर्ण रूपेण प्रचालन व प्रबंधन कराने हेतू मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मुंगेर, भागलपुर एवं पटना नगर निकायों को निदेशित किया गया।

घटक– FI&SEP

- सभी नगर निकायों को टास्क फोर्स की बैठक आवश्यक रूप से करने एवं ऋण आवेदनों को निष्पादन करने का निदेश दिया गया। यह भी निदेश दिया गया कि निकाय अपने स्तर पर सप्ताहिक रूप से सभी CMMU कर्मी एवं CRPs की समीक्षात्मक बैठक करें। साथ ही DAY-NULM योजना के सभी Stakeholders के साथ पाक्षिक बैठक कर प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करे।

उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन :–

- वित्तीय वर्ष 2003–04 से 2015–16 तक प्राप्त सहायक अनुदान मद के विरूद्ध एक करोड़ से अधिक लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र वाले नगर निकायों यथा आरा (959.15), बेगुसराय (789.82), भागलपुर (478.46), बिहारशरीफ (137.73), छपरा (858.59), मुंगेर (113.22), मुजफ्फरपुर (853.69), पटना (6348.36), बगहा (381.85), बांका (396.11), बेनीपुर (223.97), बेतिया (747.35), ढ़ाका (192.02), जमालपुर (110.39), मधेपुरा (297.51), सासाराम (237.07), सहरसा (559.74), सीतामढ़ी (101.81), सीवान (1028.46), बखरी (290.50), बनमनखी (105.25), चकिया (165.01), दिघवारा (182.17), हवेली–खड़गपुर (558.52), झाझा (314.23), झंझारपुर (317.29), मीरगंज (152.68), नवीनगर (175.30), नोखा (197.96), परसाबाजार (108.19), रामनगर (150.02), रिविलगंज (181.16), रोसड़ा (197.95), सिमरी–बख्तियारपुर (215.79), विक्रम (236.01) को निदेश दिया गया कि जिस मद की राशि का उपयोग नहीं किया है, उसका उपयोग उसी मद मे कर उपयोगिता प्रमाण–पत्र तुरंत विभाग में समर्पित किया जाय।
- वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2017–18 तक प्राप्त सहायक अनुदान मद के विरूद्ध 20 लाख से अधिक राशि का लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र वाले नगर निकायों यथा बिहारशरीफ (20.44), पटना (551.12), ढ़ाका

(53.81), मसौढ़ी (85.98), जयनगर (35.78) को व्ययोपरान्त उसका उपयोगिता प्रमाण–पत्र शीघ्र विभाग में जमा करने का निदेश दिया गया।

- वित्तीय वर्ष 2003–04 से 2015–16 तक एक करोड़ से अधिक लंबित अनिकासी राशि वाले नगर निकायों यथा बेगुसराय (261.23), गया (132.47), सहरसा (298.63), सीवान (146.44) गोगरी जमालपुर (111.00), मढ़ौरा (458.79), पकड़ी दयाल (106.59), परसाबाजार (184.63), शेरघाटी (313.92) को निदेश दिया गया कि अनिकासी राशि का प्रमाण–पत्र संबंधित कोषागार से अविलम्ब प्राप्त कर उसका उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभाग में समर्पित किया जाय।

- नगर पंचायत, परसा बाजार के लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं अनिकासी राशि से संबंधित विभागीय ऑकड़ों एवं निकाय के ऑकड़ों में भिन्नता पाये जाने पर उसके लिए कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, परसा बाजार को 20 बिन्दु का प्रतिवेदन शीघ्र विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

- वित्तीय वर्ष 2007–08 से 2016–17 तक 4 या उससे अधिक लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदन वाले नगर निकायों यथा पटना (07), बेगुसराय (04), भागलपुर (04), छपरा (04), मसौढ़ी (04), औरंगाबाद (04), डेहरी–डालमियानगर (04), बक्सर (05), खगौल (06), बगहा (04), बेतिया (06), सीतामढ़ी (04), मधुबनी (06), जमुई (06), मोतिहारी (04), सासाराम (04), ढ़ाका (04), बरबीघा (04), गोगरी जमालपुर (04), हवेली–खड़गपुर (04), सोनपुर (04), मोतीपुर (05), रफीगंज (04), पीरो (04), कोईलवर (04) को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र उसका अनुपालन प्रतिवेदन महालेखाकार (ले०प०), बिहार को भेजते हुए उसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

- मोबाईल कंपनियों तथा भू–स्वामियों के बीच हुए लीज एकरारनामा पर मुद्रांक शुल्क के भुगतान की जाँच नहीं किये जाने के कारण 6.33 लाख रू. का मुद्रांक शुल्क की हानि औरंगाबाद, बेगुसराय, दरभंगा, किशनगंज, मधुबनी एवं सहरसा में हुई है। यह मामला अगले लोक लेखा समिति में विचारनीय है, जिसके लिए संबंधित नगर निकायों को एक सप्ताह के अंदर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है।

<u>निकायों का वित्तीय वर्ष 2018–19 का बजट प्राक्कलन</u> :–

- निकायों के वित्तीय वर्ष 2018–19 के बजट प्राक्कलन की समीक्षा की गई। सभी स्थानीय निकायों को 15 फरवरी 2018 तक बजट प्राक्कलन (वोर्ड में पारित करा कर) विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था परन्तु विभागीय निदेश के बावजूद भी कुछ निकायों से अभी तक बजट प्राक्कलन उपलब्ध नहीं कराया गया है। साथ ही कुछ निकायों द्वारा विभागीय निर्देश के वाबजूद भी बजट प्राक्कलन की आपत्तियों का निराकरण करते हुए विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया है। उन्हें एक सप्ताह के अन्दर बजट प्राक्कलन सभी औपचारिकताओं को पूरा कर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

- यह भी निदेश दिया गया कि बजट प्राक्कलन की विभागीय स्वीकृति के बिना व्यय करना नियम सम्मत नहीं है एव इसकी जबावदेही संबंधित नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी की होगी। लोकायुक्त, बिहार द्वारा भी विभागीय स्वीकृति के बिना व्यय करने को गम्भीरता से लेते हुए संबंधित निकायों पर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है। साथ ही अंकेक्षण दलों द्वारा भी आपत्ति दर्ज की गई है।

<u>होल्डिंग टैक्स</u> –

- निकायों द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में होल्डिंग टैक्स संग्रह का लक्ष्य एवं उसके विरूद्व वसूली की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुछ निकायों द्वारा प्रथम तीन माह में संतोषजनक

वसूली की गई है यथा दरभंगा (51.75%), शेखपुरा (146.24%), विक्रमगंज (51.07%), ढाका (37.75%), दानापुर (33.03%), बांका (32.33%), खगौल (31.15%), किशनगंज (30.62%), वैशाली (56.69%), अमरपुर (42.95%), बोधगया (38.79%), चनपटिया (34.45%), खुशरूपुर (34.43%), मैरवा (33.00%), रिविलगंज (31.18%), टेकारी (30.88%), चकिया (30.42%)। परन्तु विक्रमगंज (7.91 लाख), बरबीधा (8.52 लाख), बगहा (17.54लाख), वैशाली (13.97लाख), अमरपुर (6.17लाख), चनपटिया (6.88 लाख), खुशरूपुर (7.78लाख), टेकारी (2.04लाख), सिमरी बख्तियारपुर (6.38लाख), रामनगर (2.30लाख), सिलाव (6.09लाख), नवीनगर (5.53 लाख), पीरो (7.15 लाख), कोथा (5.95 लाख), परसाबाजार (9.71लाख), शाहपुर (9.00 लाख), केसरिया (5.83लाख), महुआ (5.02 लाख), कोआथ (3.02 लाख), नोखा (7.75 लाख), विक्रम (5.83 लाख), कसवा (5.00 लाख) का लक्ष्य (Total Demand) काफी कम है, जिसके कारण उनकी वसूली (Total Collection) अधिक अंकित हो रहा है। अतः उन्हें (Total Demand) बढ़ाकर वसूली सुनिश्चित करने का निदेश दिया जाय।

- नगर परिषद, नरकटियागंज, नगर पंचायत, बारसोई, गोगरडीहा एवं महाराजगंज का लक्ष्य तथा वसूली शून्य दर्शाया गया है। उन्हें लक्ष्य निर्धारित कर वसूली संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की निदेश दिया गया है।
- नगर पंचायत जगदीशपुर का लक्ष्य 51.61 लाख दर्शाया गया है, परन्तु वसूली शून्य दर्शाया गया है। वसूली संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
- कई स्थानीय निकायों द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराने के कारण वसूली कम पाया गया है। उन्हें भी ससमय प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
- जिन निकायों द्वारा लक्ष्य के विरूद्व अत्यंत ही कम वसूली की गई है, उनसे स्पष्टीकरण पूछते हुए चालू वित्तीय वर्ष में शत–प्रतिशत वसूली करने का निर्देश दिया गया।
- अर्द्वसरकारी एवं PSU भवनों पर होल्डिंग टैक्स/सेवा कर के बकाये के संबंध में विभाग द्वारा प्रेषित प्रपत्र में गत वित्तीय वर्ष एवं वर्त्तमान वित्तीय वर्ष का बकाया के संबंध में एक सप्ताह के अन्दर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया ताकि विभाग स्तर से संबंधित विभागों को बकाया होल्डिंग टैक्स की सूची उपलब्ध कराते हुए निकायों को भुगतान करने का अनुरोध किया जा सके।
- सभी नगर निकायों को निर्देश दिया गया कि होल्डिंग टैक्स के बड़े बकायेदारों पर कार्रवाई करने के संबंध में बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

Revenue (other Sources) -

- निकायों द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में Mobile Tower, Trade licence, Shop rent advertisment, Bus stand, other sairats, Mutation fee, Birth and Death Registration fee, Building permission fee, Any other sources से संग्रह का लक्ष्य एवं उसके विरूद्व वसूली की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अधिकांश नगर निकायों द्वारा (Total collection) से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती। उन्हें Total of Holding, लक्ष्य, वसूली प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया ताकि अन्य स्रोत से राजस्व प्राप्ति की जानकारी हो सके।
- Mobile Tower मद से बेगूसराय नगर निगम (1.95 लाख), आरा (0.00), छपरा (1.70 लाख), मुंगेर (1.30 लाख), मुजफ्फरपुर (0.65 लाख) द्वारा काफी कम वसूली की गई है। उन्हें Mobile Tower को चिन्हित करते हुए Total Demand एवं Collection से संबंधित प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया। कई निकायों द्वारा बताया गया कि वसूली नहीं हो पा रही है। मोबाईल टॉवर से शत–प्रतिशत राजस्व वसूली सुनिश्चित करने का निर्देश सभी स्थानीय निकायों को दिया गया।

- Trade licence fee सिर्फ 40% स्थानीय निकायों द्वारा वसूला जा रहा है एवं कई निकायों का Trade licence fee शून्य दर्शाया गया है। उन्हें निर्देश दिया गया कि Trade को चिहिन्त कर वसूली सुनिश्चित किया जाय।
- कई निकायों द्वारा बताया गया कि Advertisment Tax की वसूली की जा रही है एवं निविदा के माध्यम से भी वसूली की जा रही है। वैसे सड़कों को चिन्हित करने एवं उसके किनारे लगने वाले छोटे होर्डिग का भी दर निर्धारित करते हुए अधिक राजस्व वसूली सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। साथ ही अवैध होर्डिंग को हटाया जाय। Advertisment Tax fee की अत्यंत कम वसूली/शून्य वसूली के संबंध में सभी स्थानीय निकायों को सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है।
- इसी प्रकार Shop rent, Bus stand, others Sairats Mutation fee, Birth and Death Registration fee, Buliding Permission fee इत्यादि के संबंध में लक्ष्य एवं वसूली सुनिश्चित करने एवं प्रतिवेदन ससमय उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

16/7/2018

(चैतन्य प्रसाद),
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक–3726 न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक 17/07/18

प्रतिलिपि :– नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/सभी विभागीय पदाधिकारी/अभियंत्रण कोषांग/आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/7/2018

प्रधान सचिव